15 जनवरी, 2021 कार्यकारी
आदेश 2021-02

कार्यकारी आदेश 2021-02
(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 72)

टियरदार शमन आदेश

जबकि, कुछ ही समय में कोरानावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, जो शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गई है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, कोविड-19 श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणरहित लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं, और इस समय कोई भी पूरी तरह से प्रभावी उपचार नहीं है, और वैक्सीन रोलआउट प्रारंभिक अवस्था में है; और,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाए इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; और,

जबकि, 8 जनवरी, 2021 को, COVID-19 के जारी प्रसार के जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को दोबारा आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, जन स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ कार्य करते हुए, मैंने एक सुविचारित योजना प्रस्तुत की थी जो कोविड-19 के पुनरुत्थान का मुकाबला करने और अनियंत्रणीय प्रसार की रोकथाम करने के लिए न्यूनीकरण के चरणों की कई पर्तों को उपयोग में लाती है; और,

जबकि, वायरस के उल्लेखनीय प्रसार और अस्पताल शैयाओं एवं ICU शैयाओं पर भर्ती COVID-19 रोगियों की संख्या में उछाल के कारण, मैंने 20 नवंबर, 2020 को पूरे राज्य में स्तर 3 की न्यूनीकरण योजना लागू की थी; और,

जबकि, नवंबर 2020 में राज्यव्यापी सकारात्मकता दर और नए COVID-19 मामले चरम पर थे, और आम तौर पर दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की पहली छमाही में नीचे की ओर उतरे हैं ; तथा,

जबकि, इस सुधार को देखते हुए, इस समय यह एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर वापस आना उचित बात है जिसमें शमन उपायों को क्षेत्र के COVID-19 मैट्रिक्स द्वारा निर्धारित किया जाता है; तथा,

जबकि, उन मैट्रिक्स के आधार पर, क्षेत्र 1, 2, और 5 ने राज्य की शमन योजना के टियर 2 पर लौटने के लिए अर्हता प्राप्त की है;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं तुरंत प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

अनुभाग 1. निम्नलिखित टियर 2 के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंध और शमन क्षेत्र 1 के लिए स्थापित किए गए हैं (बून, कैरोल, डेकैल्ब, जो डेविस, ली, ओगले, स्टीफेंसंन, व्हाइटसाईड, और विन्नेबैगो काउंटियाँ), क्षेत्र 2 (ब्यूरो, फुल्टन, ग्रुंडी, हेंडरसन, हेनरी, केंडल, नॉक्स, ला सैले, लिविंगस्टन, मार्शल, मैकडोनो, मैकलीन, मर्सर, पियोरिया, पटनम, रॉक आइलैंड, स्टार्क, ताज़ेवेल, वॉरेन और वुडफ़ोर्ड काउंटियाँ) और क्षेत्र 5 (अलेक्जेंडर, एडवर्ड्स, फ्रैंकलिन, गैलाटीन, हैमिल्टन, हार्डिन, जैक्सन, जेफरसन, जॉनसन, मैरियन, मैसेक, पेरी, पोप, पुलस्की, सेलाइन, यूनियन, वबाश, वेन, व्हाइट, और विलियमसन काउंटियाँ):

a. <u>रेस्त्राओं और बारों के लिए न्यूनीकरण।</u> क्षेत्र के रेस्त्रां एवं बार इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं, जो भवन के अंदर एवं बाहर खुले में भोजन के लिए वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (Department of Commerce and Economic Opportunity) द्वारा जारी चौथे फ़ेज के मार्गदर्शन के संपूरक हैं:
    1. क्षेत्र के सभी रेस्त्रां एवं बारों को रात्रि 11:00 बजे बंद हो जाना चाहिए, और अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक बंद रहना चाहिएं।
    2. क्षेत्र के सभी रेस्त्रां एवं बार, परिसर में भवन के अंदर भोजन परोसना स्थगित रखेंगे।
    3. परिसर में खाने या पीने वाले सभी ग्राहक बाहर खुले में कम-से-कम छः फ़ीट दूर रखी मेज़ों पर बैठेंगे। एक मेज़ पर एक से अधिक दल (पार्टियां) नहीं बैठेंगी। पार्टियां छह या उससे कम के समूहों तक सीमित हैं।
    4. जिन ग्राहकों को बैठने के लिए अब तक कोई मेज़ न मिली हो वे परिसर के बाहर प्रतीक्षा करेंगे और, प्रतीक्षा करते समय उस दल (पार्टी) से बड़े समूहों में एकत्र नहीं होंगे जिसके साथ वे भोजन करने आए हैं। परिसर में खड़े होने, एकत्र होने, या नाचने की अनुमति नहीं है।
    5. हर दल (पार्टी) के पास आरक्षण होना चाहिए, भले ही वह वहीं आकर लिया गया हो, ताकि संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में रेस्त्रां या बार के पास प्रत्येक दल (पार्टी) तक पहुंचने के लिए संपर्क जानकारी हो।

b. <u>सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए शमन उपाय।</u> क्षेत्र की सभाएं एवं सामाजिक कार्यक्रम इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं, जो सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग द्वारा जारी चौथे फ़ेज के मार्गदर्शन के संपूरक हैं:
    1. बैठकें और सामाजिक कार्यक्रम 10 लोगों या उससे कम तक सीमित हैं।
    2. संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) के लिए उपस्थिति सूचियां रखना आवश्यक है।
    3. पार्टी बसों की अनुमति नहीं है।

c. <u>गेम और कसीनो के लिए शमन उपाय।</u> क्षेत्र के गेम और कसीनो इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं:
    1. गेमिंग के स्थान और कसीनो को रात्रि 11:00 बजे से दूसरे दिन सुबह 6:00 बजे तक बंद रहना चाहिए और गेमिंग टर्मिनलों को संचालन रोक देना चाहिए।
    2. गेमिंग के स्थान और कसीनो क्षमता के 25% पर सीमित हैं।
    3. गेमिंग के स्थानों और कसीनो को अपनी इकाइयों के रेस्त्रां एवं बार वाले भागों के लिए रेस्त्रां एवं बार के शमन उपायों का पालन करना होगा।

d. <u>इनडोर और आउटडोर मनोरंजन के लिए शमन।</u> क्षेत्र की इंडोर और आउटडोर मनोरंजन सुविधाएँ इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं, जो भवन के अंदर एवं बाहर खुले में मनोरंजन के लिए वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (Department of Commerce and Economic Opportunity) द्वारा जारी चौथे फ़ेज के मार्गदर्शन के संपूरक हैं:
    1. सुविधाएं 25 लोगों से कम तक या 25% क्षमता तक सीमित हैं।

2. समूह 10 लोगों या उससे कम तक सीमित हैं।

e. <u>सभी कार्यस्थलों के लिए न्यूनीकरण।</u> व्यवसाय और प्रतिष्ठान उच्च जोख़िम वाले व्यक्तियों के लिए घर से कार्य करना प्रचलित करेंगे, और यह मूल्यांकन करेंगे कि और कर्मी घर से कार्य कर सकते हैं या नहीं। यह सरकारी आदेश अधिकतम संभव कर्मियों के लिए घर से कार्य करने को प्रोत्साहित करता है।

अनुभाग 2. यह कार्यकारी आदेश क्षेत्र 1, 2 और 5 के लिए टियर 3 शमन ऑर्डर (कार्यकारी आदेश 2020-73) का पूरक है। यह टियर 3 शमन आदेश अन्य क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहता है, और जब इसकी शर्तें उपर्युक्त धारा 1 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित से असंगत होती हैं, तो इसके अलावा क्षेत्र 1, 2 और 5 के लिए भी प्रभावी रहता है। टीयर 3 शमन आदेश की अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें सामाजिक दूरी तथा फ़ेस कवर पहनने से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं, लागू रहेंगी।

अनुभागा 3. टीयर 3 शमन आदेश के अनुभाग 4 में वर्णित छूटें इस सरकारी आदेश पर लागू होती हैं। स्पष्टता और भविष्य की योजना की अनुमति देने के लिए, प्रमुख छूटों को नीचे बताया गया है, और मैं COVID -19 के कारण आपदा घोषणाओं के दौरान इन छूटों को फिर से शुरू करने का इरादा नहीं रखता हूं।

a. **<u>मुक्त धर्मपालन।</u>** यह कार्यकारी आदेश मुक्त धर्मपालन को सीमित नहीं करता है। धार्मिक नेताओं, कर्मचारियों, धार्मिक समाज/सभा के सदस्यों/भक्तगणों, और आगंतुकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के संरक्षण के लिए, धार्मिक संगठनों एवं उपासना गृहों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) से परामर्श करें और विभाग द्वारा अनुशंसित प्रथाओं एवं दिशानिर्देशों का पालन करें।[1] जैसा कि IDPH दिशानिर्देशों में वर्णित है, इस समय धार्मिक संगठनों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वे अपनी सेवाएं ऑनलाइन, ड्राइव-इन प्रारूप में, या आउटडोर में (तथा सामाजिक दूरी और फ़ेस कवर पहनने से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करते हुए) प्रदान करें, और सेवाओं को 10 लोगों पर सीमित करें। धार्मिक संगठनों को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर के उपयोग, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्य उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के कदम उठाएं।

b. **<u>आपातकालीन कार्य।</u>** सभी प्रथम उत्तरदाता, आपातकालीन प्रबंधन कर्मी, आपातकालीन डिस्पैचर, न्यायालय कर्मी, कानून प्रवर्तन और सुधार कर्मी, खतरनाक सामग्री उत्तरदाता, बाल संरक्षण और बाल कल्याण कर्मी, आवास और आश्रय कर्मी, सैन्य, आपातकालीन प्रतिक्रिया को सपोर्ट करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखने और सिफारिश किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

c. **<u>सरकारी कार्य।</u>** यह कार्यकारी आदेश संयुक्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है और उन सभी सेवाओं को प्रभावित नहीं करता है जो राज्य या किसी भी नगर निगम, टाउनशिप, काउंटी, उपखंड या सरकार की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और सरकारी एजेंसियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने या समर्थन करने के लिए आवश्यक है।

अनुभाग 4. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

[1] उक्त मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker) राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 15 जनवरी, 2021 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 15 जनवरी, 2021 को दायर